(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2143–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–04–2015 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला धार, नस्ती कमांक 42

.....

1–हिरासिंह पिता पदमसिंह

निवासी ग्राम महंतपुरा तहसील बदनावर जिला धार

2–हरीराम पिता कनीराम

निवासी ग्राम महंतपुरा तहसील बदनावर जिला धार

..... आवेदकगण

विरूद्ध

केसरसिंह पिता अनोपजी

निवासी ग्राम महंतपुरा तहसील बदनावर जिला धार

..... अनावेदक

.....

श्री टी0टी0गुप्ता एवं श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा कलेकटर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम मंहतपुरा तहसील बदनावर स्थित सर्वे कमांक 13, 103/2, 104/2, 105/2, 200/1, 201/2 व 200/2/ख कुल रकबा 4.796 हेक्टेयर थी, उसमें से सर्वे नम्बर 200/1 का रकबा 0.963 हेक्टेयर उसके खाते से कम कर दी गई है, अतः उसकी भूमि उसे वापिस दिलायी जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 42 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 25–4–2015 को आदेश पारित प्रश्नाधीन भूमि कम करने संबंधी तहसीलदार के प्रकरण के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर द्वारा लगभग 32 वर्ष पश्चात् तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 30/अ–6/1982–83 में पारित आदेश दिनांक 31–1–1983 के पुनर्विलोकन की अनुमति लगभग 32 वर्ष पश्चात् दी गई है, जबकि आवेदन पत्र पर इस प्रकार की अनुमति देने हेतु छह माह की अवधि निर्धारित है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये है कि पुनर्विलोकन की अनुमति युक्तियुक्त समय के भीतर दी जाना चाहिये, 32 साल पश्चात् इस प्रकार की अनुमति देना अवधि बाह्य है ।

तर्क के समर्थन में 2010 आरएन 46, 2007 आरएन 65, 2004 आरएन 89, 2002 आरएन 452, 2002 आरएन 212, 2001 आरएन 9, 2000 आरएन 161 आदि के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(2) पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1989 आरएन 200, 2004 आरएन 246, 2008 आरएन 99 आदि के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा बिना किसी आदेश के प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के खाते से कम कर दी गई थी, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । राजस्व प्रकरण कमांक 30/1982–83/अ–6 में सर्वे कमांक 200/1 रकबा 0.963 हेक्टेयर पर अनावेदक का स्वत्व माना है और उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है, ऐसी स्थिति में भी कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

(2) राजस्व अधिकारियों को भी पूर्ण अधिकार है कि यदि राजस्व रिकार्ड में बिना आज्ञा के काटपीट की गई है जो वह स्वप्रेरणा में लेकर उक्त त्रुटि को दूर कर सकते हैं, इसलिये कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के प्रकरण में अनेक जगह काट–छॉट की जाना प्रथमदृष्टया ही दिखाई देती है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा शिकायत के आधार पर जॉच कराई जाकर तहसीलदार के आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–4–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर